FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

तहसीलदार, जैतारण **बनाम** नारायणलाल वगैरह

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं. 05/सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.01.2020	तहसीलदार, जैतारण उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार (भू.अ) जैतारण ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम–निम्बोल के खसरा नंबर 402, 403 के खातेदार द्वारा सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि में से कुल 0.1947 बीघा भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पित किये जाने पर ना.स 2313 दिनांक 09.10.2009 स्वीकार किया जाकर उक्त समर्पित भूमि समर्पणनामा अनुसार गै.मु. रास्ता राजस्थान सरकार के पक्ष में स्वीकार किया गया, परन्तु उक्त प्रविष्टि का जमाबन्दी में अंकन के दौरान सहवन से गै.मु. रास्ता सिवायचक के स्थान पर सिवायचक बारानी दोयम दर्ज कर दी गई थी। अतः उक्त त्रुटि को जरिये संसोधन दुरूस्त कर समर्पणनामा अनुरूप गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज किया जावे। हमनें प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न जमाबन्दी एवं ना.क. पंजिका ग्राम–निम्बोल एवं मौका रिर्पोट पटवारी निम्बोल तथा नजरी नक्शा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 402 व 403 द्वारा सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि के अनुरूप एवं स्वीकृत नामान्तकरण के अनुरूप जमाबन्दी में प्रविष्टि नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार (भू.अ.) जैतारण को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम–निम्बोल की जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि खसरा नंबर 402 रकबा 00–10 बीघा बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 403 रकबा 01–04 बीघा बारानी दोयम के किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करें। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)	51 16/1/20

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.23 15:13:43 IST
Reason: SelfAttested